KHALE RAMANI & CO.
Chartered Accountants
H.O. - Niwali Road, Opp. Dr. Bhabar, Sendhwa,
Distt. Barwani – 451666
B.O. – Shahid Bhagat Singh Marg, Opp. Nidan Pathology,
Sapna Sangeeta Road, Indore – 452001
✉khaleramanica@gmail.com; ✆ 94250-90071 (H.O.), 94250-66718 (B.O.)

Khale Ramani & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

प्रति,

सदस्यगण,

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (म.प्र.)

1. मर्यादित अभिमत (Qualified Opinion)

हमने **जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा** जिसका पंजीयन **क्रमांक** "1"स्थापना दिनांक **नवंबर 26, 1911**है, के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमे दिनांक **31 मार्च 2023**का तुलनपत्र तथा इसदिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता विवरणी तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाए सम्मिलित है का लेखा-परीक्षण किया है।

बैंक की लेखा पुस्तको में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा पैरा-4 में दिए गए मर्यादित अभिमत के लिए वर्णित विषयों के अतिरिक्त, हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते हैं कि -

i. **महत्वपूर्णलेखाकननीतियाँ** एवं उन पर आक्षेप, सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित, संलग्न तुलनपत्र एक निष्पक्ष तुलनपत्र है, जिसमे सभी आवश्यक विवरण समाहित हैऔर इसेसमुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमों के अनुरूप दि.**31 मार्च, 2023**को बैंक के क्रियाकलापों का सही एंव निष्पक्ष चित्र प्रदर्शित किया जा सके।

ii. **महत्वपूर्णलेखांकननीतियों**एवंउनपरआक्षेप, सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय

अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुरूप उस वर्ष के दौरानकिये गएव्यवहारों के लेखों में लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।

2. वित्तीयविवरणोंकेप्रतिप्रबंधनका दायित्व

इन वित्तीय विवरणोंको **बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949** (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिये लागू होता है) **म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960**और **संबधित नियमों** के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से सबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवम् रख-रखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिती प्रस्तुत करते हो तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि या कपटता के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त हो।

3. लेखा परीक्षकों का दायित्व

i. हमारादायित्वहमारेद्वाराकी गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है।हमने हमारी लेखा परीक्षा **इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्स् ऑफ इण्डिया** द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते है कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और सम्पन्न करे कि इन वित्तीय विवरणों के सही एवम् किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके।

ii. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमे वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटपूर्ण हो, या होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जो कि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार कि उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिये है, जो सही एवम् निष्पक्ष चित्रण कर सके। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियाँकि उपयुक्ता का आंकलन एवम् प्रबंधतत्र द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समय प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

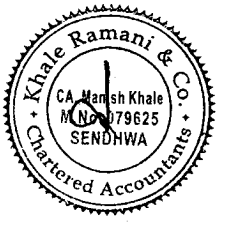

iii. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवम् उपयुक्त होने के लिये आधार उपलब्ध कराते है। हमारे द्वारा किया गया अंकेक्षण जोखिमों के आंकलनो पर आधारित होकर महत्वपूर्णता (materiality) और महत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया। कुछ ऐसे मुद्दे जो की बैंक के वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता को महत्वपूर्णता (materiality) रूप से प्रभावित नहीं करते, को अंकेक्षण की **लौंग फर्म ऑडिट रिपोर्ट** में दर्शाया गया है।

4. **मर्यादित अभिमत के लिए आधार**

i. बैंक ने **इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउन्टेन्स् ऑफ इण्डिया** द्वारा जारी लेखाकन मानक-1 (लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण), लेखाकन मानक-3 (रोकड प्रवाह विवरण), लेखांकन मानक-5 (पूर्ववत आय एवं व्यय), लेखाकन मानक-9 (राजस्व मान्यता), लेखाकन मानक 15 (अवकाश) नगदीकरण का उपचय तथा ग्रेच्युटी), लेखाकन मानक-17 (खंड विवरणी), लेखाकन मानक 20 (प्रति अंश आय), लेखाकन मानक- 22 (आय पर कर का लेखांकन) एवं लेखाकन मानक-29 (प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक सम्पत्तियों) के अनुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का अनुसरण पूर्ण रूप से नहीं किया है।

ii. बैंक की सभी शाखाएँ कोर बैंकिंग प्रणाली(CBS) पर कार्य कर रही है, लेकिन 31 मार्च 2023 की स्थिति में अग्रिम संपत्तियों का वर्गीकरण कोर बैंकिंग प्रणाली(CBS) द्वारा ना होकर शाखा द्वारा मैन्युअली किया जा रहा है, जिसके कारण अग्रिमों का सही वर्गीकरण, जो कि मानक, अमानक और संदिग्ध अग्रीमो में किया जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है| इसी के साथ-साथ अग्रीमो पर प्रावधान का कार्य, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मेन्युअली किया जा रहा है| हमारी **नमूना जांच** के दौरान अग्रीमो के वर्गीकरण एवं उनके प्रावधान से संबंधित जो त्रुटियां पायी गयी उनका हमारे द्वारा **MOC** देकर सुधार करवाया गया है बैंक द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया की 01.04.2021 से अग्रीमो का वर्गीकरण कोर बैंकिंग प्रणाली(CBS) द्वारा अर्ध स्वचलित किया गया है तथा इसे भविष्य में पूर्णरूप से स्वचलित रूप से किया जाएगा। हालांकि, चालू **वित्तीय वर्ष 2022- 2023** के दौरान भी, बैंक ऋण अग्रीमो का मैन्युअल रूप से वर्गीकरण कर रहा है। विस्तृत विवरण के लिए **लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट** का **परिशिष्ट 'अ'** संलग्न है।

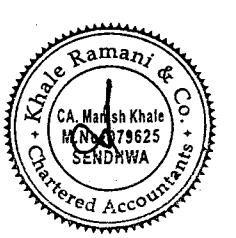

iii. अग्रीमो का सही वर्गीकरण ना होने के कारण कुछ खातों में दण्ड ब्याज नहीं वसूलने, कुछ खातो पर एनपीए की गलत मार्किंग के कारण व्याज वसूलने, अप्राप्त ब्याज की वापिसी, एनपीए खातो पर भी मानक खातों की तरह व्याज की गणना, इस तरह की विसंगतिया पाई गई है। इनसे सम्बंधित जो भी गलतियां हमें नमूना जांच के दौरान दिखी उसका **MOC** देकर सुधार करवा दिया गया है। जबतक सम्पूर्ण सिस्टम पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होगा तब तक इस तरह की गलतियां अवश्यम्भावी है| इसके प्रभाव स्वरूप बैंक की आय एवं अग्रीमो पर प्रावधान की गणना सही रूप से करना संभव नहीं है एवं वर्तमान में इसका प्रभाव हम बैंक की आय एवं अग्रिम संपत्ति पर निश्चित करने में असमर्थ है।

iv. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि **प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओ** (PACS) का **वर्ष 2021-2022** के मिलान का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त शाखाओ मे **वर्ष 2021- 22** का अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं पाया गया अतः हम समितियों को दिये गये ऋण के अंत उपयोग के बारे में कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ है।

v. बैंक द्वारा **जीएसटी** के नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं किया गया है। जिसके तहत बैंक द्वारा **वर्ष 2021-22** का वार्षिक रिटर्न एवं **जीएसटी** समाशोधन विवरण (रिकनसीलेशन स्टेट्मेन्ट) (जीएसटीआर 9सी) की अनुपालना नहीं की गई है, जो की वैधानिक रूप से करना आवश्यक है। **ऑक्टोबर- 2022** का मासिक रिटर्न (GSTR-3B) जिसको दाखिल करने की अंतिम तारीख **20-11-2022** थी, **13-12-2022** को दाखिल किया गया जिस पर बैंक को विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा| बैंक की लेखा पुस्तकों में बताये गये जीएसटी (GST) के आकड़ों और GST वेबसाइट (माल एवं सेवा कर पोर्टल) में उल्लेखित आकड़ों में अंतर पाया गया, तथा उक्त का समाधान पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण हम जीएसटी के मात्रात्मक प्रभावों का सटीक विश्लेषण तथा गणना करके बैंक के तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक 31 मार्च 2023 पर होने वाले प्रभावों का आकलन करने में असमर्थ है। जीएसटी से संबंधित अन्य विवरण **लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट** के **परिशिष्ट "अ"** मे संलग्न है।

vi. बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए **स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंसियल ट्रांसक्शन (SFT)** का वार्षिक रिटर्न एवं **सस्पीशियस ट्रांसक्शन रिपोर्ट (STR)** का मासिक रिटर्न दाखिल करने का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो की वैधानिक अनिवार्यता है।

Khale Ramani & Co.
Chartered Accountants
CA. Manish Khale
M.No. 079625
SENDHWA

vii. **31 मार्च 2023** की तिथि तक एलआईसी की मांग के अनुसार **ग्रेच्युटी** की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया| इससे संबंधित विस्तृत विवरण **लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट** के **परिशिष्ट "अ"** मे संलग्न है।

viii. मुख्यालय द्वारा हमें यह बताया गया की **फ्रॉड रिपोर्टिंग** में एंश्योर पोर्टल पर सिर्फ बैंक स्तर के फ्रॉड (धोखाधड़ी के मामले) रिपोर्ट किये जाते हैं। समिति स्तर के फ्रॉड एश्योर पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं। हालांकि अंकेक्षण के दौरान हमने पाया की एश्योर पोर्टल पर अंकेक्षण वर्ष में बैंक स्तर पर कोई भी नया फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया गया हैं परन्तु पूर्व के एश्योर पोर्टल पर कुल 4 प्रकरण दर्ज पाए गए जिनमे से 2 मामले समिति स्तर के है जिनके बारे में मुख्यालय प्रबंधन द्वारा यह जानकारी दी गई कि, समिति स्तर के मामले गलती से एश्योर पोर्टल पर दर्ज हो गए है जिनके संबंध में प्रबंधन द्वारा इन्हे पोर्टल से विलोपित करने हेतु नाबार्ड को आवेदन दिया गया है| बैंक में अभी तक समिति स्तर के कुल 24 फ्रॉड के मामले रिपोर्ट किये गए है।

ix. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया की लेखा पुस्तकों में **सस्पेंस खाते** एवं **डीडी अनक्लैमड खाते** में जो राशियाँ दर्शाई गई है, वो पूर्व के वर्षों में भी थी| वर्ष के दौरान उक्त खातों में होने वाले लेनदेन की जानकारी की गणना कर उनका सही विवरण देने में हम असमर्थ है।

x. लेखा परीक्षक के रूप में अन्य मामले जो प्रबंधन के नोटिस में लाये जाने है उनका विस्तृत विवरण **लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट** में दिया गया है। हमारे द्वारा दी गयी **MOC** के संबंध में सभी प्रविष्टियों का समायोजन तुलन पत्र व लाभ-हानि खाते में कर दिया है।

5. अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

i. तुलनपत्र तथा लाभ-हानि पत्रक, वित्तीय विवरण **बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949** (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है), तथा **म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960** के अनुसार बनाये गये है।

ii. उपयुक्त पैरा 1 से 4 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन, वित्तीय विवरण **बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949** (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं **मप्र सहकारी सासोयटी अधिनियम 1960** तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिर्पोट करते हैं कि -

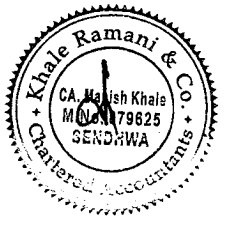

- ❖ हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए।
- ❖ बैंक के लेन देन जो हमारी जानकारी में आए बैंक के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।
- ❖ बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा-परीक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई।
- ❖ इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलनपत्र तथा लाभ हानि पत्रक बहीखातों के अनुरूप है।
- ❖ बैंक के लाभ-हानि पर **MOC** का प्रभाव संलग्न विवरण के अनुसार है।
- ❖ हमारे द्वारा की गई समिति की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर एवं हमारी राय के अनुसार कानूनी रूप से उचित बही खाते रखे गये हैं।
- ❖ बैंक को **वर्ग "अ"** में अनुशंसित किया गया है।

दिनांक: 22/06/2023
स्थानः खंडवा

वास्ते: खले रमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन : 010493C

Khale Ramani & Co. Chartered Accountants
CA. Manish Khale
M.No. 079625
SENDHWA

भागीदार
सी.ए. मनीष खले
सदस्यता क्रमांक: 079625
यु.डी.आई.एन: 23079625BGWTMK7433